न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 – 141/2024

उनवान : –

1. मांगीलाल पुत्र स्व.बृजलाल जाति सुथार निवासी गांव मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रेम कुमार पुत्र स्व.बृजलाल जाति सुथार निवासी गांव मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. कमला पत्नी स्व.बृजलाल जाति जाति सुथार निवासी गांव मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अन्नू (पुत्री मु.सुगनी जोजा रूपराम पुत्री लाधूराम) पत्नी गितेश कुमार जाति सुथार निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. पूनम (पुत्री मु. सुगनी जोजा रूपराम पुत्री लाधूराम) पत्नी जगतपाल जाति सुथार निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

4. प्रकाश पुत्र स्व.बृजलाल जाति सुथार निवासी गांव मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्रपाल वर्मा **प्रार्थीगण**
श्री अब्दुल सतार अधिवक्ता **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या–4 के दादा व प्रार्थीया संख्या–3 के ससुर लाबूराम के नाम चक 3 एमएसटी के पत्थर नम्बर 188/335 (3) किला नम्बर 25/2/202, पत्थर नम्बर 198/336 किला नम्बर 5 ता 9, 12 ता 25 तादादी 4,908 हैक्टेयर कृषि भूमि थी। उपरोक्त कृषि भूमि व अन्य भूमि की वसीयत प्रार्थीगण संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या–4 के पड़दादा व प्रार्थीया संख्या–3 के दादा ससुर जेठाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से दिनांक 11.12.1970 पंजीयन दिनांक 14.12.1970 को रोबरू गवाहान प्रार्थीगण संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या–4 के पिता व प्रार्थीया संख्या–3 के पति बृजलाल के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवाई। जेठाराम की उक्त वसीयत अंतिम वसीयत है। प्रार्थीगण संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या–4 के पिता श्री बृजलाल अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति था। उक्त वसीयत निष्पादित होने के पश्चात् जेठाराम ने उक्त वसीयत अपनी पत्नी अर्थात प्रार्थीगण पड़दादी को दे दी थी। प्रार्थीगण की पड़दादी दिनांक 15.07.2004 को फौत हो ई। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता को उसके अनपढ़ व भोला भाला होने के कारण अपने

अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

पक्ष में निष्पादित वसीयत का ज्ञान नहीं हो सका। उक्त वसीयत का ज्ञान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अवश्य था इसी कारण उन्होनें प्रश्नगत 4.908 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता को बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की । प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता दिनांक 18.04.2015 को फौत हो गये । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने चक 3 एमएसटी के पत्थर नम्बर 198 / 335 किला नम्बर 25/2/202, पत्थर नम्बर 198 / 336 किला नम्बर 5 ता 9, 12 ता 25 तादादी 4.908 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में बृजलाल के वारिस को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 14.02.2022 को बअनवानी अन्नू बनाम रूपराम न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी प्रकरण संख्या 110 / 2019 में डिकी पारित करवा ली जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने पिता व दादी के संदूक जिसमें कागजात पड़े थे, संभाला तो उन कागजात में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता के पक्ष में जेठाराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11.12.1970 पंजीयन दिनांक 14.12.1970 प्राप्त हुई। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी में दुरभिसंधि कर प्राप्त की गई निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2022 के विरूद्व प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 110 / 2022 बअनवानी मांगीलाल बनाम अन्नूश प्रस्तुत की। उक्त अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 29.08.2024 को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता सुगनी ने उक्त वसीयत दिनांक 11.12.1970 पंजीयन दिनांक 14.12.1970 के प्रभाव में रहते उपरोक्त भूमि को कतई गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया व माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 71 / 2022 बअनवानी ष्मांगीलाल आदि बनाम अन्नू आदि में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 के बावजूद उपरोक्त भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कतई गलत एवं विधि विरूद्व रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया। वसीयत दिनांक 11.12.1970 पंजीयन दिनांक 14.12.1970 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के मुताबिक उपरोक्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या – 4 के पिता तथा प्रार्थीया संख्या – 3 के पति बृजलाल खातेदार हैं। बृजलाल फौत हो चुके हैं जिनके जायज व कानूनी वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या – 4 है। प्रार्थीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि चक 3 एमएसटी के पत्थर नम्बर 198 / 335 (3) किला नम्बर 25 / 2 / .202, पत्थर नम्बर 198/336 किला नम्बर 5 ता 9, 12 ता 25 तादादी 4.908 हैक्टेयर कृषि भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या – 4 खातेदार है तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। चक 3 एमएसटी के पत्थर नम्बर 198 / 335 (3) किला नम्बर 25 /2/. 202, पत्थर नम्बर 198/336 किला नम्बर 5 ता 9, 12 ता 25 तादादी 4.908 हैक्टेयर कृषि भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या – 4 के संयुक्त आधिपत्य, धारण एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कतई गलत एवं विधि विरूद्व रूप से नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाकर इसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बेजा दखलंदाजी देने व उपरोक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर रहन, बैय व मुन्तकिल करने को है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने इस गलत मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । उपरोक्त परिस्थितियों में

सहायक कलैक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 चक 3 एमएसटी के पत्थर नम्बर 198 / 335 (3) किला नम्बर 25/2/.202, पत्थर नम्बर 198 / 336 किला नम्बर 5 ता 9, 12 ता 25 तादादी 4.908 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या – 4 के संयुक्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी देने, उपरोक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं उपरोक्त कृषि भूमि को आगे रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे । प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 चक 3 एमएसटी तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 198 / 335 (3) किला नम्बर 25/2/ 202, पत्थर नम्बर 198/336 किला नम्बर 5 ता 9, 12 ता 25 तादादी 4.908 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या – 4 के संयुक्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी देने, उपरोक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं उपरोक्त कृषि भूमि को आगे रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादभूमि 3 एमएसटी के खाता स0 41/43 में कुल 4.9080 है0 भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को जवाब पेश होने तक रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरित न करें। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री अब्दुल सतार जोईया ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित तथ्य कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही । वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पेश किया है जो तथ्यों व विधि के आधार पर प्रथम दृष्टया ही काबिज खारीजी के है । कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में प्रार्थीगण ने आराजी का विवरण अधूरा दर्ज किया है । स्व0 लाधूराम के नाम से करीब 75 बीघा गैरदाखिलकारी की आराजी थी जिसकी सनद खातेदारी वादीगण के पिता बृजलाल, हम प्रतिवादीगण की माता सुगनी देवी तथा नारायणी के नाम से जारी हुई थी, उक्त आराजी का वादीगण के पिता बृजलाल व प्रतिवादीगण कीमाता सुगनी तथा नारायणी के मध्य वर्ष करीब 1984 में खाता विभाजन होकर अलग से कायम हो गया । दफा हाजा में वर्णित कथन कि जेठाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से दिनांक 11.12.70 पंजीयन दिनांक 14.12.70 को रोबरू गवाहान बृजलाल के पक्ष में वसीयत कर दी, का कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किया गया है, स्वीकार नही । प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कि प्रार्थीगण सं0 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं0 4 का पिता श्री बृजलाल अनपढ ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति था, .. का कथन कतई गलत दर्ज होने के कारण स्वीकार नही । दफा हाजा में दर्ज कथन कि वसीयत निष्पादित होने के पश्चात् जेठाराम ने उक्त वसीयत अपनी पत्नी अर्थात प्रार्थीगण की पड़दादी को दे दी, का कथन गलत व निराधार दर्ज होने के कारण स्वीकार नही। अप्रार्थीया सं० 1 व 2 अपने विधिक अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए यह निवेदित करती है कि प्रार्थीगण सं० 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं0 3

ण्ड अधिकारी एवं
। सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

के पिता स्व० बृजलाल को तथाकथित वसीयत का शुरू से ही ज्ञान व इल्म था तथा इस ज्ञान के बावजूद स्व0 बृजलाल ने अपनी स्वंतत्र ईच्छा व विवेक से अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता के कृषि भूमि के हक को स्वीकार कर वर्ष 1984 में उंपरोक्त वर्णित भूमि का खाता विभाजित करवाकर अलग से कायम करवाया तथा हम अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता के हक व हिस्सा को स्वीकार करते हुए 1.416 है0 आराजी हम अप्रार्थी सं० 1 व 2 की माता से खरीद की। वादपत्र में वर्णित आराजी हक अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 की माता के कब्जा काश्त में चली आ रही थी तथा उनकी फौतगी के बाद हम अप्रार्थी सं0 1 व 2 पिता स्व० रुपराम के कब्जा काश्त में चली आ रही थी । प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थीगण सं० 1 व 2 के पिता दिनांक 18.04.2015 को फौत हो चुके है, का कथन स्वीकार है । चक 3 एम.एस.टी. के प0न0 198/335 किलानं0 25 / 2 / 0.202, प0न0 198 / 336 किलानं0 5 ता 9, 12 ता 15, तादादी 4.908 है0 आराजी हम अप्रार्थीगण की माता की एकल खातेदारी की आराजी थी, जिसमें अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने के लिए हम अप्रार्थीगण द्वारा बअनवानी अनू बनाम् रुपराम पेश किया गया जो अदालत हाजा द्वारा दिनांक 14.2. 2022 को डिक्री किया गया। उपरोक्त आराजी में स्व० बृजलाल अथवा उनके वारिसान का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही था। दफा हाजा मे दर्ज अभिकथन कि प्रार्थीगण संख्या 1व 2 ने अपने पिता व दादी के संदूक के कागजात पड़े थे, संभाला तो उन कागजात में प्रार्थीगण सं0 1 व 2 के पिता के पक्ष मे जेठाराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11.12.70 पंजीयन दिनांक 14.12.70 प्राप्त हुई, का कथन कतई गलत व निराधार दर्ज किया गया है, स्वीकार नही । माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.2.22 के खिलाफ अपील दायर होने का कथन स्वीकार है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 29.8. 2024 को अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत हाजा को पुनः सुनवाई बाबत् प्रतिप्रेषित की गई है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.08.2024 के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । प्रार्थीगण को वसीयतनामा दिनांक 11.12.70 से किसी प्रकार के हक व अधिकार हासिल नही होते ।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा हाजा में दर्ज कथन कि अप्रार्थी सं01 व2 की माता सुगनी ने उक्त वसीयत दिनांक 11.12.1970 पंजीयन दिनांक 14.12.70 के प्रभाव मे रहते उपरोक्त भूमि को कतई गलत एंव विधि विरूद्ध रुप से अपने नाम दर्ज करवा लिया, का कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किया गया है, स्वीकार नही । प्रार्थीगण के पिता स्व० बृजलाल को अभिकथित वसीयत का ज्ञान होने के बावजूद ने अपनी स्वंतत्र इच्छा व विवेक से एक राजस्व वाद बअनवानी बृजलाल बनाम् सुगनीदेवी के नाम से वर्ष 1978 में पेश किया जिसमें बरूवे राजीनामा सन् 1984 में खाता विभजन की डिक्री पारित की गई तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता स्व० बृजलाल ने उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता सुगनी के हक व हिस्सा की मानते हुए सुगनी देवी से 1.416 है0 आराजी खरीद की इस प्रकार से प्रार्थीगण के पिता स्व० बृजलाल अपनी स्वंतत्र इच्छा व विवेक से अपने हक व अधिकार का अभिकथन कर दिया, इसलिए प्रार्थीगण तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर किसी प्रकार का हक व हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी नही है। माननीय राजस्व अपनी अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 के जरिये अदालत हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.22 को चुनौती दी गई थी।

Scanned with CamScanner

मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पिता स्व० रुपराम के नाम से दर्ज थी तथा स्व० रुपराम के अप्राथी सं० 1 व 2 विधिक वारिसान है जिनके नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज किया गया है जो विधिक सम्वत् है तथाकथित वसीयत दिनांक 11.12.70 व पंजीयन दिनांक 14.12.70 के आधार पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार हासिल नही होते । प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित तथ्य कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही। मुकदमा हाजा मे वर्णित आराजी हम अप्रार्थीगण सं01 व 2 की माता सुगनी की एकल खातेदारी की आराजी थी जो उनके जीवनकाल में उनके कब्जाकाश्त में चली आ रही थी तथा उनकी फौतगी के पश्चात अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता स्व० रुपराम के कब्जा काश्त में रही तथा वर्तमान में हम अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी की अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन किसी अभिलिखित खातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता । बाबत पूर्व में प्रार्थीगण के पिता स्व० बृजलाल द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारीज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण यह द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने के कतई अधिकारी नही है इसके बावजूद भी अदालतहाजा द्वारा मुकदमा हाजा में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी तथा अप्रार्थीगण अपने विधिक व कानूनी अधिकारों से वंचित हो जावेगी चूँकि मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी की अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार काश्तकार है अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है, ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज फरमाया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत निम्म प्रकार से है।

(1) 1996 डीएनटी आर ए टी–12
(2) 2016(2) आर आर टी 1323
(3) 2016(2) आर आर टी 978
(4) 2017(2) आर आर टी 991
(5) 2017(1) आर आर टी 259
(6) 2019 आर आर डी पेज 51

विद्वान अधिवकता प्रार्थी द्वारा भी न्यायिक दृष्टांत 1. आर आर टी 2016–17 व 2. आर आर टी 2018–19 हमने उपारोक्त न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन कर इन्हे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उपयोग किया।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा मूल दावे के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। हम प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एंव सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

Scanned with CamScanner

1 प्रथम दृष्टया मामलाः– इसका अर्थ यह कतई नही कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्रार्थी व अप्रार्थी में से किसको प्राप्त है चूकि उक्त विवेचन एंव वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण को जरिये विरासतन प्राप्त हुई है व अप्रार्थी स0 1 व 2 उक्त वादभूमि के अभिलिखित (RECORDED) खातेदार काश्तकार है अतः उक्त आराजी के उपयोग व उपभोग का अधिकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण को ही है अतः हमारे स्पष्ट अभिमत में यह है कि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न कि प्रार्थी के पक्ष में।

2 सुविधा का संतुलनः– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को होगी, चूंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण सुविधा का संतुलन भी अप्राथीगण के पक्ष में ही बनता है।

3 **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अगर स्थगन प्रभावी रहता है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न कि प्रार्थीगण को।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हमारे विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थीगण का अस्थाई व्यादेश प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.11.2024 को जारी की गयी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एंव सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner